न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या – 148/2018/225 आर टी ए

1. गायत्री देवी पत्नि चन्द्रशेखर जाति सुथार निवासी चक नं0 9 बी.एच.डी. भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति सुथार पेशा खेती निवासी कालवास तहसील तारानगर हाल आबाद निवासी चक 9 बी.एच.डी. भादरा तहसील भादरा।
2. आर.एम.जी.बी. बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. बैंक शाखा भादरा।
3. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
4. तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।
5. आनन्द प्रकाश पुत्र देवीलाल होदकासिया जाति कुम्हार निवासी सरदारपुरा बास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. सन्दीप पुत्र देवीलाल होदकासिया जाति कुम्हार निवासी सरदारपुरा बास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 19.04.2018 न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व भादरा प्रकरण संख्या 59/2017 बअनवानी कृष्ण कुमार आदि बनाम गायत्री देवी आदि।

उपस्थित :–

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0

सत्यमेव जयते

Web Copy, Not Official

निर्णय दिनांकः–29.01.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान कोलोनाईजशन एक्ट तथा सपठित धारा 251(ए) आरटीए पेश कर अपीलांट की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने हेतु अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र रेस्पो0 स्वीकार करते हुऐ अपीलांट की भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 ने धारा 8(2) राज. उपनिवेशन अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र 2017 में प्रस्तुत किया, जबकि 2017 से पूर्व उक्त provision खत्म कर दिया गया है तथा रास्ता हेतू 8(2) के स्थान पर 251(ए) राज. काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान किया गया है। अतः 251(ए) आरटीए के

रिपोर्ट का लिया जाना भी आवश्यक है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मौका रिपोर्ट का कोई हवाला नहीं दिया एवं गैर कानुनी ढ़ंग से रास्ता स्वीकृत किया है। रेस्पो0 द्वारा 8(2) के स्थान पर संशोधित प्रार्थना–पत्र 251(ए) आरटीएक्ट के तहत दिया जाना चाहिए था। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट में 30 फीट रास्ता दिये जाने का अंकन है जबकि अपीलांट के पास 28 फीट ही भूमि है यह भूमि भी अपीलांट द्वारा रेस्पो0 से खरीदी गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। अधीवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में RRT 2016-17 पेज 677 व RRT 2014(2) पेज 1440 न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन राजस्थान कोलोनाईजेशन शर्त 8(2) के तहत पेश किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीए के तहत मानते हुऐ प्रकरण में रास्ता स्वीकृत करने का निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 8(2) एवं 251(ए) आरटीए के तहत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में तहसीलदार को रिपोर्ट हेतु लिखा गया एवं तहसीलदार द्वारा प्रकरण में रास्ता के संबंध में रिपोर्ट भिजवाई गई जो 251(ए) के तहत भिजवाई गई क्योंकि राज. काश्तकारी सरकारी नियम 1969 के नियमों के अनुसार ILR या उससे उच्च अधिकारी की रिपोर्ट लिया जाना आपेक्षित है जो दिनांक 12.01.2018 को ली गई। रेस्पो0 की भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता हो ऐसा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिया गया है उक्त रास्ता की भूमि की एवज में भूमि देने का आदेश भी दिया गया है। रास्ता के आवेदन में गलत धारा का अकंन होने के कारण रेस्पो0 को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.03.2018 को आदेशिका में निर्धारण कर 251(ए) आरटीए के तहत निर्णय पारित किया है जो न्यायहित में सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावे। अधीवक्ता ने अपनी बहस के पक्ष में RRT 2017(2) पेज 1463 व RRT 2018(2) पेज 1544 न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये।

अपील सम्बंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, विद्वान अभिभाषकगण की बहस एवं बहस के दौरान प्रस्तुत कानुनी दृष्टांतों का अध्ययन एवं मनन किया। जहां तक धारा 8(2) कोलोनाईजेशन एक्ट के तहत प्रा.पत्र की मेन्टेनेबलिटि का सवाल है यह प्रा. पत्र धारा 8(2) सपठित धारा 251(ए) आरटीए के तहत पेश हुआ था इस संम्बध में अपीलांट की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151(CPC) का प्रा. पत्र भी पेश किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करते हुऐ खारिज किया। वैसे भी माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में यही सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि प्रकरणों का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना चाहिए, यथासंभव तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर खारिज करने से न्याय के निष्पादन में विलंब होता है। वकील रेस्पों0 द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत भी इसी अनुसार है कि किसी प्रा.पत्र में गलत प्रोविजन लिखने के आधार पर उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इस संम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 जिस प्रकार निर्णित किया गया है वह भी सर्वदा उचित है।

इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा रास्ते के संबंध में प्रा0प0 पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी कर तहसीलदार भादरा से रास्ते बाबत रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार भादरा द्वारा रास्ते के संबंध में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट दिनांक 12.01.2018 जरिये पत्र दिनांक 22.01.2018 प्रेषित की। रिपोर्ट में तहसीलदार भादरा एवं ILR भादरा के हस्ताक्षर अंकित है। रिपोर्ट के साथ संलग्न आंशिक नकल नक्शा के एवं रिपोर्ट के अनुसार मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 1, 2, व 3 तक स्वीकृत रास्ता मौजूद है किन्तु प्रार्थी कृष्णकुमार के मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 10 व 11 में इस स्वीकृतशुदा रास्ते से जाने के लिए अपीलांट के किला नं. 1 में से ही रास्ता संभव है जो रिपोर्ट के अनुसार है। अन्य कोई रास्ता होने बाबत दस्तावेज पत्रावली में नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रार्थी के रास्ते की आवश्यकता के दृष्टिगत अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। वकील अपीलांट द्वारा 30 फीट रास्ता दिये जाने बाबत बहस में बताया गया जबकि वास्तव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 फीट का रास्ता नहीं दिया गया है बल्कि 1 बिस्वा भूमि का रास्ता दिया गया है, जो कि 1 बीघा की लम्बाई मे 8.25 फीट (1 गट्ठा) होता है और इसके बदले में 1 बिस्वा भूमि भी दिये जाने का आदेश दिया है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत भी इस प्रकरण की परिस्थितियों पर चस्ता नहीं होते।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि नहीं होने के कारण उक्त निर्णय न्यायोचित है। रेस्पों0 के खातेदारी में आवागमन हेतु रास्ता वांछित है। अपील उपरोक्त वर्णन के कारण सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मूल चन्द (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज0)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official